

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-18012021-224511
SG-DL-E-18012021-224511

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 16]	दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 15, 2021/पौष 25, 1942	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 276
No. 16]	DELHI, FRIDAY, JANUARY 15, 2021/PAUSHA 25, 1942	[N. C. T. D. No. 276

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

Je foHkkx

vf/k l puk

दिल्ली, 15 जनवरी, 2021

I+Qk- 15%54%@yc@2020@253.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24 मार्च, 1961 की अधिसूचना संख्या फा. 02/2/61 के साथ पठित औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 की संख्या 14) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपराज्यपाल, दिल्ली, श्रम विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के निरीक्षक अधिकारियों एवम श्रम निरीक्षक (ग्रेड 2 दास कैडर) को समझौता अधिकारी तत्काल प्रभाव से नियुक्त करते हैं तथा उन्हें उनके कार्यक्षेत्र में औद्योगिक विवादों की मध्यस्थता तथा निपटान में बढ़ावा देने का कार्य सौंपा गया।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के
उपराज्यपाल के आदेशानुसार तथा उनके नाम पर,
के.एस.मीणा, विशेष सचिव (श्रम)

LABOUR DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Delhi, the 15th January, 2021

No. F.15(54)/Lab/2020/253.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Industrial Disputes Act, 1947 (No. 14 of 1947) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification Number F.2/2/61-Judl. II, dated the 24th March 1961, the Lt. Governor, Delhi is pleased to appoint with immediate effect the Inspecting Officers and Labour Inspectors (Grade II DASS Cadre) of Labour Department, GNCTD as Conciliation Officers and charge them with the duty of mediating in and promoting the settlement of Industrial Disputes in the area assigned to them.

By Order and in the Name of the
Lieutenant Governor of the National
Capital Territory of Delhi,

K.S. MEENA, Spl. Secy. (Labour)